

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : UD1100UP2016PTC082671

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, प्लॉट न. 225, बेल्हाघाट, सदर, अजीत नगर, प्रतापगढ़, यूपी, 230001

Ph: +915342297860; ईमेल: pratapgarh.mpc@gmail.com, वेबसाइट: www. Shwethdharamilk.com

सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की सातवीं वार्षिक आम सभा वर्ष 2022 के सितंबर माह की 05वीं तिथि को प्रेम बंधन पैलेस, एचपी पेट्रोल पंप के सामने, खामपुर महली, प्रतापगढ़, यूपी, 230001 में 12:00 बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए की जाएगी :

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए अवधि के बैलेंस शीट और कंपनी के लाभ और हानि खाते के साथ उपलब्ध और आवश्यक नोट, निदेशकों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने एवं उसे अपनाने और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करने के लिए:

"यह संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुई अवधि के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके अनुलग्नित नोट, शीड्यूल और निदेशकों और कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार और अनुमोदित किया जाता है।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना: -

"संकल्प किया गया कि निदेशक 31 मार्च 2022, को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से रुपए 6 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 113558 इक्विटी शेयरों पर लाभांश की अनुशंसा करते हैं। पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 6,81,348/- राशि आने वाले वार्षिक आम सभा में सदस्यों की मंजूरी के लिए अनुशंसित की जाएगी और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाता है, जिनके नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।"

3. श्रीमती सावित्री (डीआईएन 07736255), के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।

"संकल्प किया कि श्रीमती सावित्री (डीआईएन 07736255), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त रही हैं और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति को श्रीमती कांति (डीआईएन 09695064), कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति करके भरा जाएगा, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने तक के लिए उत्तरदायी होगी।

4. श्रीमती अनारा देवी (डीआईएन 08180062), के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।

"संकल्प किया कि श्रीमती अनारा देवी (डीआईएन 08180062), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त रही हैं और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति को श्रीमती किरण (डीआईएन 09695122), कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति करके भरा जाएगा, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार और अनुमोदन करने के लिए।

6. श्रीमती श्याम लता को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार श्रीमती श्याम लता (डीआईएन 09695142) जिन्हें कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में 03.8.2022 से नियुक्त किया गया है और जो 7वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण कर सकती है और एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

7. श्रीमती शालू शुक्ला को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्ति:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार श्रीमती शालू शुक्ला (डीआईएन 09695012) जिन्हें कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में 03.8.2022 से नियुक्त किया गया है और जो 7वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण कर सकती है और एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

8. नामांकन समिति के गठन की प्रक्रिया पर विचार और अनुमोदन करने के लिए।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित करना, एक साधारण संकल्प के रूप में:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों के अनुसार नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देशों को अपनाया और अनुमोदित किया जाता है, जो यहां नीचे दिए गए हैं।

- (i) श्वेतधारा दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड वित्तीय वर्ष के पूरा होने के तीन महीने के भीतर एक "नामांकन समिति" (एनसी) का गठन करेगा, जो बोर्ड को सदस्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक की 'रिक्त उत्पादक स्थिति के लिए संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देगा।

- (ii) बोर्ड पर निर्माता निदेशकों की रिक्ति (कक्षा ए या कक्षा बी या कक्षा सी श्रेणी के तहत) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना (बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए) कंपनी के नोटिस बोर्ड और कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, यदि कोई एक है या सामान्य डाक द्वारा संबंधित वर्ग (वर्गों) के सदस्यों को एक परिपत्र भेजकर जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है।
- (iii) बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के तहत संदर्भित ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाना है।
- (iv) "नामांकन समिति" पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के सामने दिए जाने वाले 'आवेदक की पात्रता स्कोर' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

S no	Parameter for applicant's eligibility score	Maximum Score
1	पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या निम्नानुसार होगी: (95% or more days -25 ; 85% to <95% days - 20 ; 75% to <85% - 15 ; 65% to <75% - 10 ; 55% to <65% - 5 ; <55% - 0)	25
2	शेयर पूंजी सदस्यता वास्तविक आवश्यकता के 10% से अधिक कम नहीं हो रही है पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	10
3	अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य दुधिया/प्रतिस्पर्धियों/ऑपरेटरों को दूध की आपूर्ति नहीं की है)- कंपनी द्वारा स्व-घोषणा और बाद में सत्यापन के आधार पर।	10
4	सदस्य योग्यता को लगातार बनाए रखा (पिछले 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक)	15
5	आवेदक की शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम आवश्यक योग्यता से अधिक - स्नातक -10 और स्नातकोत्तर के लिए - 15) न्यूनतम योग्यता एसोसिएशन के लेखों के अनुसार होगी।	15
6	अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया गुणवत्ता और / उत्पादक - 5) स्वच्छ दूध जागरूताअंक(; वीसीजी 5) एमआरजी/अंकनेतृत्व /(15

	5) विकास कार्यक्रमअंकके लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।	
7	कंपनी के सदस्य के रूप में कोई पुरस्कार या मान्यता प्राप्त (जैसे सदस्य / वीसीजी / एमआरजी आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ आईबी पुरस्कार) / आवेदक ने श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया है।	5
8	स्वैच्छिक सेवा के लिए मान्यता प्राप्त करने के बाद (दस्तावेजी प्रमाण के अधीन)	5
	TOTAL	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित 'नामांकन समिति' में निम्न शामिल होंगे-

- i.) सदस्यता वर्ग से बोर्ड पर एक निर्माता-सदस्य निदेशक, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि ऐसा निर्माता-सदस्य निदेशक वह नहीं है जो उस एजीएम में सेवानिवृत्त हो रहा है। यदि एक से अधिक निर्माता-सदस्य निदेशक अर्हता प्राप्त करते हैं, तो एक एनसी सदस्य की पहचान ड्रों के माध्यम से की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई निर्माता-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य निर्माता-सदस्य निदेशक की पहचान ड्रों के माध्यम से की जाएगी;
- ii.) किसी भी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या किसी संस्थान से एक विशेषज्ञ जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए काफी काम किया हो; तथा
- iii.) एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में है।

कंपनी के कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेंगे और नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित उसके सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(v) 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से उस तारीख तक होगा जब तक कि वह कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश नहीं भेजती।

9. कंपनी के अंतर्नियमों के लेखों में परिवर्तन पर विचार करना और अनुमोदन करना और विशेष संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों सहित कोई भी वैधानिक संशोधन या फिर से लागू होना और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित तरीके से और हद तक बदला जा सकता है: -

(1) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 9.13

i) बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जो कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन निदेशकों के अधीन होगा। उपरोक्त के बावजूद, निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है।

ii) यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 4.3. iii. परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्य के रूप में हटाने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो हो सकते हैं इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।"

आगे संकल्प किया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे

सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो हो सकते हैं इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।"

10. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन पर विचार और अनुमोदन करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित करना, एक विशेष संकल्प के रूप में:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हो और अन्य लागू प्रावधान (किसी भी वैधानिक संशोधन या फिर से लागू होने के साथ) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 7वीं एजीएम की तारीख से पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 225, बेलहाघाट सदर, अजीत नगर, प्रतापगढ़, 230001 यूपी से जी-कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ई, पहली मंजिल (बाईं ओर का हिस्सा), 443/445 सीएच, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के सामने, अयोध्या (फैजाबाद), 224001 - यू.पी. स्थानांतरित किया जाए।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि पंजीकृत कार्यालय में एक नेम प्लेट या बोर्ड लगा दिया जाए और कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता कंपनी के सीआईएन नंबर और सभी व्यावसायिक पत्रों में सुपाठ्य चरित्र में ई-मेल आईडी के साथ प्रयोग या उल्लेख किया जाए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अनुसार बिल, पेपर्स और लेटर हेड्स और इसके सभी नोटिसों और अन्य आधिकारिक प्रकाशनों आदि में।"

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो हो सकते हैं इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

एसडी/-

लखविंदर सिंह

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

स्थान: प्रतापगढ़

दिनांक: 03.08.2022

नोट्स

1. वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्य के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि आम सभा में भाग लेने के लिए विधिवत भरे हुए उपस्थिति पर्ची साथ लेकर आवें।
3. संबंधित सूचना में संदर्भित दस्तावेज, सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 से 16:00 बजे) के दौरान, शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. खाते या कंपनी के संचालन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य से अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले क्वेरी अग्रेषित करें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने फोलिओ नंबर और सदस्य कोड को उनके सभी पत्राचार में उद्धृत करें।।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को अपने पते और बैंक खाता विवरण में यदि कोई परिवर्तन हो तो तत्काल सूचित करें ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 3, 4, 6 & 7

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती कांति	पशुपालन	12 th
श्रीमती किरण	पशुपालन	बी.ए.
श्रीमती श्याम लता	पशुपालन	12 th
श्रीमती शालू शुक्ला	पशुपालन	बी.ए.

निदेशक मंडल के आदेश से

एसडी/-

लखविंदर सिंह

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

स्थान: प्रतापगढ़

दिनांक: 03.08.2022

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची संख्या 03

श्रीमती कांति को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती कांति की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 3 द्वारा सिफारिश करता है

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती कांति, खुद को छोड़कर ,और कोई भी इस किसी भी तरह से, संकल्प में हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 04

श्रीमती किरण को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती किरण की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 4 द्वारा सिफारिश करता है

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती किरण, खुद को छोड़कर ,और कोई भी इस किसी भी तरह से, संकल्प में हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 06

श्रीमती श्याम लता को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती श्याम लता की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 06 द्वारा सिफारिश करता है

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती श्याम लता, खुद को छोड़कर ,और कोई भी इस किसी भी तरह से, संकल्प में हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 07

श्रीमती शालू शुक्ला को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती शालू शुक्ला की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 07 द्वारा सिफारिश करता है

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती शालू शुक्ला, खुद को छोड़कर ,और कोई भी इस किसी भी तरह से, संकल्प में हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 09

कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में समय-समय पर लागू और संशोधित कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप लेखों के प्रावधानों को समझने और प्रशासित करने में बेहतर स्पष्टता लाने के लिए, और एओए (AOA) में जहां कहीं आवश्यक हो और कंपनी के व्यवसाय संचालन और प्रबंधन में लचीलापन और कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए कुछ बदलावों की आवश्यकता है

निदेशक मंडल ने 03 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A के अनुसार अपेक्षित बहुमत के साथ कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसलिए, विशेष संकल्प में विस्तृत प्रस्तावित परिवर्तनों को कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के कुछ मौजूदा प्रावधानों के संशोधन / परिवर्तन के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाता है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 09 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनका कोई भी रिश्तेदार कंपनी के सदस्य के अलावा किसी भी तरह से संकल्प में दिलचस्पी या संबंधित नहीं है।

मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति, प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए यहां की तारीख से बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच उपलब्ध है।

कार्यसूची संख्या.10

चूंकि कंपनी अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती आदि के विभिन्न जिलों में अपने व्यवसाय संचालन का विस्तार कर रही है, इसलिए प्रशासनिक और परिचालन सुविधा के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

बोर्ड का विचार है कि केंद्रीकृत भौगोलिक स्थिति और विशेष जनशक्ति की आसान उपलब्धता के कारण कंपनी द्वारा अयोध्या में कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय को अधिक कुशलता और आर्थिक रूप से किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम के लागू वैधानिक प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या कंपनी के लिए लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, यदि कोई हो) के संदर्भ में, कंपनी को बदलने के लिए सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय।

कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों में से कोई भी या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, संकल्प में रुचि या संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 10 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है

निदेशक मंडल के आदेश से

एसडी/-

लखविंदर सिंह

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

स्थान: प्रतापगढ़

दिनांक: 03.08.2022